

॥ अधि ३३ ना ॥

अध्याय १४ - १४० रा. अधि. ३ - १९२०

१४०, ५६०, ११००

चूंकि वर्तमान में राजस्व की आवश्यकताओं के लक्षण अति अधिक हैं तथा न्यायिकारियों के अभाव के कारण विवेक भविष्य में उन व्यक्तियों पर परबन्धन हेतु न्यायिकारी उपलब्ध होने में संभावना नहीं है अतः अत्यन्त विचारोपरान्त सरकार द्वारा तैयार गये विधायक के अनुसार यथा आदेश दिया जाता है कि (१) निर्धारित अंश में परबन्धित अंश अधिकारी अपने व्यक्तियों के अतिरिक्त अपने आदेश तक परबन्धी न्यायिकारी के पूर्ण प्रकार से भी रहे।

(२) इन अंश अधिकारियों को व्यक्तियों की परबन्धी एवं अन्तर्गत निवारण अधिनियम की धारा ३(१) के अन्तर्गत अधिभूक्त निर्धारित अंशों में परबन्धी न्यायिकारी की स्थितियों की जाती है:-

क्रम सं.	जिला का नाम	अधिनियम की धारा ३(१) के अन्तर्गत अधिभूक्त अंशों का नाम
१-	भोजपुर	विधिया, अगरीपुर, आरा, सैत, बरहारा, गजपुर, बरपौर, श्रीरौ, अरुण, जौहरी, तराही, उदयपुर, हुमना, नागपुर, बरहारा, इटादी, राजपुर, सिन्धी, अमनपुर, ।
२-	बक्सर	नाइरीगं, नोला, सातारा, करगु, चेनारी, भिखार, काराकाट, भिखार, आदय, विष्णुगं, सिन्धी ।
३-	रोहतास	मगवानपुर, ममुआ, मोहनिया, कुमरा, जाध, रायगढ़, दुर्गावती, चैतपुर ।
४-	कैमूर (ममुआ)	हाजीपुर, विधुपुर, जन्दाबा, महनार, उडुआ, गोराल, लालगं, कैमली, पातेपुर, देवरी ।
५-	मुजफ्फरपुर	पार, सोया, सैतगं, बरहारा, मोतीपुर, मुजफ्फरपुर, मुजहरी, बौध, मीनापुर, कुदनी, काटी, कटरा, आराई, गजगाट ।
६-	समस्तीपुर	भितवारपुर, उज्जयपुर, तापपुर, हरायलन, पूजा, कल्याणपुर, विभूतिपुर ।
७-	सीताबदी	स्नीसैमपुर, बेलगं, भिखार, भिमराही, रीगा, कैरगं, बधनाहा, अजयपुर, परिवार, बरहारा, सुपरी, साधवटी, नानपुर, इमरा ।

- वि. श. र. राज्यपाल के आदेश से,

प्रतिलिपि (को प्रतियों में)

सचिव ।

नापाके — 46/

प्रतिलिपि सभी प्रमंडलीय आयुक्त । सभी संबंधित समाह्वार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित ।

चक्र०, पटना, दिनांक — 9-1-99

सरकार के उप सचिव ।

नापाके — 46/

प्रतिलिपि निदेशक, चक्रवर्ती, बिहार, पटना । सयुक्त निदेशक, चक्रवर्ती (मु०) बिहार, पटना । प्राचार्य, चक्रवर्ती प्रशिक्षण संस्थान, बिहार, पटना । सभी सयुक्त निदेशक, चक्रवर्ती को सूचनार्थ प्रेषित ।

चक्र०, पटना, दिनांक — 9-1-99

सरकार के उप सचिव ।

नापाके — 46/

प्रतिलिपि सभी उप निदेशक, चक्रवर्ती । सभी सहायक निदेशक, चक्रवर्ती । सभी चक्रवर्ती पदाधिकारी । सभी संबंधित अंचल अधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित ।

चक्र०, पटना, दिनांक — 9-1-99

सरकार के उप सचिव ।

नापाके — 46/

प्रतिलिपि उप निदेशक, चक्रवर्ती (मु०), बिहार, पटना । प्रभारी पदाधिकारी (विधि शाखा), चक्रवर्ती निदेशालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित ।

चक्र०, पटना, दिनांक — 9-1-99

सरकार के उप सचिव ।

नापाके — 46/

प्रतिलिपि आयुक्त सह-सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना । उप सचिव, प्रभारी प्रणाली-3, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना । सभी राजस्व के आयुक्त सचिव को माननीय मंत्री महोदय को अवगत कराने हेतु प्रेषित ।

चक्र०, पटना, दिनांक — 9-1-99

सरकार के उप सचिव ।

सरकार के उप सचिव ।